प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2022**
   प्र0इ0रि0 सं. ....507/**2022**.............................दिनांक.....30/12/2022....

2. (I) * अधिनियम ...**पी0सी0 (संशोधन) एक्ट 2018**.......... धारायें..........7........
   (II) * अधिनियम ....धारायें ....
   (III) * अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....607................ समय 5-50pm
   (ब) * अपराध घटने का वार.........दिनांक....13.11.2022...**से 15.11.2022**..... समय...............
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 07.11.2022

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक– **लिखित**

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– दक्षिण–पश्चिम दिशा में करीब 410 कि0मी0 ....
   (ब)*पता–उदयपुरसिटी
   ....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम.................श्री नीरज पुर्बिया............................... ....
   (ब) पिता/पति का नाम–**श्री** प्रेमचंद पुर्बिया ....
   (स) जन्म तिथी/वर्ष......... ....
   (द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**...
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय ....
   (ल) पता...प्लॉट नम्बर 263/20 सहेली नगर उदयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्री रोशन लाल पुत्र श्री जीवन जी खटीक उम्र–55 वर्ष हाल–उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना– सुखेर जिला उदयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...

   चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....
11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

Date 5/11/2022

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,SIU ACB JAIPUR विषय – रिश्वत लेते रगे हाथो पकडवाने बाबत महोदय,उपरोक्त विषयान्तर्गत में निवेदन है कि मे प्रवासी भारतीय नागरिक हुं

R

कुवेत मे पिछले 30 वर्षो से रहकर काम रहा हुं, प्रार्थी के परिवार में चार बहने व एक छोटा भाई निलेश पुर्बिया रहे है। वर्ष 2019–6 NOVEMBR को छोटे भाई निलेश का देहात हो गया था, निलेश का विवाह 2008 में श्रीमती लवलीना पुर्बिया से हुआ था। मेरे द्ववारा कुवेत से पेसा पिताजी व छोटे भाई को भिजवाया जाता था उक्त पेसे से मेरे भाई ने वर्ष 2007 में भुवाणा 3957 आराजी मे स्वयं के नाम से लगभग 32000 sq Ft जमीन खरिदी थी। 2007 में खरिदी उक्त जमीन मे से निलेश ने स्वयं की पत्नि के नाम वर्ष 2012 में 5800 वर्ग फीट GiFT DEED कर दी। छोटे भाई के देहात के बाद 13/2/2022 को लवलीना ने मुझे फोन कर भारत आने के लिये यह कहते हुए बुलाया की भुवाणा की प्रोपरटी बेच रही हुँ 14/02/2022 को मे उदयपुर आया, लवलीना से उक्त सम्बध में बातचीत की। जिस पर मैने अपनी सहमती जता थी, लवलीना बार बार मुझे उक्त प्रापर्टी का दबाव बना रही थी दिनांक 17/2/22 को मुझे मेरे भुवाणा स्थित ओफिस मे रात करिब 10:15 PM के करीब फोन बताया कि ओफिस पुलिस वाले आये है ओर बुला रहे है के तुरंत आफिस पहुचा तो साथ में Wife भी थी। आफिस पहचते ही पुलिस वालो ने मुझ से प्रोपर्टी के कागजात मांगे पुलिस के साथ प्राईवेट 8–10 लोग भी थे जिन्होने मुझसे धमका कर प्रोपर्टी खाली करने को कहा। मेने कहा परिवारीक मामला है हम बेठकर निपटा लेगे। तब पुलिस ने मुझे कागजात लेकर थाने चलने के लिये कहा तो मेने सुबह थाने आने के लिये कहा था। जिस पर सहमत हो गये थे और चले गये थे सुबह मुझे मालुम चला कि SI रोशन लाल मेरे ACCUNTNT उत्तम लोहार को मेरे ओफिस से पुलिस थाना ले गया तब मुझे लगा पुलिस मुझे भी गिरफतार करेगी तो मे श्रीमान ASP अशोक मीना से जाकर मिला तो उन्होने रोशन लाल से बात की तथा मुझे बताया कि सम्पति विवाद है 145 की कार्यवाही पुलिस द्वारा कि जा सकती है इसके बाद आफिस पहुंचा तो वहा पहले से रोशन लाल खड़ा था जिसने मुझसे मेरे आफिस की चाबीया ले ली तथा DYSP जितेन्द्र आचलिया से मिलने के लिए कहा तब मे श्री जितेन्द्र आचलिया के आफिस जाकर मिला तो जितेन्द्र ने मुझे बताया कि आपके खिलाफ अजमानतीय अपराध कि धारा में FIR दर्ज हुई है। आप सुखेर थाना पहुंचो मे वहीं आता हुं। तब मे पुलिस थाना सुखेर पहुंचा जहा लवलीना पहले से उपस्थित थी थोडी देर बाद जितेन्द्र आचलिया भी थाने पर आ गये।जितेन्द्र आचलिया व रोश लाल ने मुझे मेरा पासपोर्ट जब्त करने तथा जेल भिजवाने की धमकी देते हुए कहा कि लवलीना ओर इसके पति स्वर्गीय निलेश की सारी प्रोपर्टी को लवलीना को दे दो।नही तो अपनी बीवी बच्चो से मिलने के लिये तरस जाओगे। तब मेने कहा मेरा आफिस करिब 1 1/2–2 साल से अस्तिव मे है चुकि मेरे भाई निधन के बाद मेरे पुरे परिवार जिसमें मेरी मॉ तथा छोटे भाई का परिवार भी शामिल है कि जिममेदारी मेरे उपर आ जाने से मेने कुवैत के साथ साथ भारत मे भी काम सम्भालने के लिये भुवाणा में शुरू किया था। यदि लवलीना प्रोपर्टी बेचना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नही है। लेकिन यह सारी प्रोपर्टी मेरे पैसे से खरिदी गई थी जिसको तरिके से बेचान करने के लिये तथा लवलीना को पैसा देना के लिये कहा। जिसमे मुझे थोडा समय चाहिये। पहले से तैयार एक समझोता पत्र मुझे दिखाते हुए जितेन्द्र आचलिया ने कहा कि इस पर हस्ताक्षर करने पर ही आपको थाने से जाने दिया जाएगा अन्यथा आपको गिरफतार कर लिया जाएगा।उक्त समझोता पत्र पर मेने अपनी गिरफतारी से बचने के लिये हस्ताक्षर कर दिये। जिसमें लवलीना

द्वारा मेरे खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिये शर्त लिखी गई थी।DYSP जितेन्द्र आचलिया ने मुझे कहा कि इस जमीन के सम्बन्ध में अब आगे बातचीत अकित मेवाडा से करनी है। इस पर वही बैठे अकित मेवाडा ने मुझे आफिस के बहार ले जाकर उक्त जमीन स्वयं द्वारा लवलीना से खरीद लेने की बात कही ओर उक्त जमीन को खरीदने के लिये मेरे द्वारा खरीदने का दबाव बनाया। कुछ दोर की बातचीत के बाद अकित मेवाडा ने मुझे रमेश राठौड से मिलाया तो रमेश राठौड ने मुझे लवलीना से स्वयं नाम प्रोपर्टी खरिदने एग्रीमेट दिखाया। इस पर अकित मेवाड़ा व रमेश राठौड ने जितेन्द्र आचलिया के साथ मिलकर लवलीना से उक्त प्रोपर्टी की रजिस्ट्री मेरे नाम करवाने का एग्रीमेट तेयार किया उक्त एग्रीमेट स्वयं DSP जितेन्द्र आचलिया ने अपनी हस्तलिपी में तेयार किया था। उक्त चारो के द्वारा मुझे डरा धमका कर उक्त मेरी प्रोपर्टी का बेचान मुझे ही कराया गया दिनांक 9/3/2022 को एग्रीमेट लिखा गया था दिनांक 14/3/2022 को प्रोपर्टी रजीस्ट्रेशन का मेरे WIFE के नाम से हुआ। दिनांक 9/3/2022 को एग्रीमेट के समय उक्त चारों के सामने अकित मेवाडा ने 70 लाख नकद मुझसे लिया व दिनांक 14/3/2022 को जितेन्द्र आचलिया के कहेअनुसार रजीस्ट्री के समय 71 लाख के चेक दिया तथा 42 लाख नकद दिया जो अकित मेवाडा लिया। इससे पूर्व 51 हजार रूपये नकद जितेन्द्र आचलिया के कहने पर रमेश राठौड को अकित मेवाडा ने दिलाए था। श्री जितेन्द्र आचलिया ने कहा था कि आपके विरूद्ध दर्ज FIR में FR कोर्ट मे भेज दी जाएगी लेकिन रोशन लाल खटिक si मुझसे FR को कोर्ट में भिजवाने के एवज में दो लाख रूपये कि मांग कर रहा है मे भ्रष्ट लोक सेवकों को रिश्वत नहीं देना चाहता, इनको रंगे हाथो रगे हाथो लेते हुए पकडवाना चाहता हुं मेरा इन भ्रष्ट लोक सेवकों से कोई उधार का लेन देन ओर नाही पुरानी रजिंश है इनके खिलाफ कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करे। सलग्न फोटो काफीः– 1. FIR-0091/2022 SUKAIR 2. एग्रीमेट 9/3/2022 3. रजिस्ट्री 14/3/2022 4.एग्रीमेट 18/2/2022 रमेश राठौड व लवलीन 5. समझोता लवलीना व नीरज 18/2/2022 FIR बाबत एसडी/– Niraj purbiya s/o प्रेमचंद जी पुर्बिया 263/20 सहेली नगर उदयपुर 7425009477 चूंकि रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं मजीद दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाना प्रतीत होता है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी नीरज पुर्बिया से पुछा की आपका व संदिग्ध अधिकारी का कोई उधार का लेन–देन तो बकाया नहीं है, जिस पर परिवादी ने बताया की मेरा संदिग्ध अधिकारी श्री रोशन लाल उ.नि.पु. से कोई उधार का लेन देन बकाया नहीं है व ना ही कोई आपसी रंजिश है। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन बाबत कहा तो परिवादी ने बताया एक दो दिन मेरे कोई निजी कार्य है तथा जैसे ही मैं उदयपुर जाउंगा आपको सुचित कर दुंगा तथा कहा कि संदिग्ध अधिकारी मेरे से किसी समय आकर मिल सकता है या मोबाईल से व्हाटसएप के द्वारा कॉल कर बुला सकता है। जिस पर कार्यालय में पदस्थापित श्री देवेन्द्र सिंह कानि.334 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में बताया गया एवं आईन्दा मांग सत्यापन हेतु उदयपुर जाने के लिये पाबन्द किया गया तथा परिवादी को बाद मुनासिब हिदायत रूखसत किया गया। दिनांक 09.11.2022 को परिवादी श्री नीरज पुर्बिया उपस्थित कार्यालय आया व बताया की मैं आज उदयपुर जाउंगा तथा उदयपुर जाते ही संदिग्ध अधिकारी मेरे से रिश्वत

राशि की मांग कर सकता है। जिस पर कार्यालय में पदस्थापित श्री देवेन्द्र सिंह कानि.334 को तलब कर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाकर खाली होना सुनिश्चित कर अलमारी से मेमोरी कार्ड 32 जीबी सनडिस्क का मंगवाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर मेमोरी कार्ड व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री नीरज पुर्बिया को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु एवं बन्द करने की प्रकिया समझायी जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री देवेन्द्र सिंह कानि.334 को सुपुर्द कर परिवादी श्री नीरज पुर्बिया व श्री देवेन्द्र सिंह कानि.334 को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। दिनांक 10.11.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादी श्री नीरज पुर्बिया के मोबाईल फोन से वाट्सअप कॉल आया तथा बताया कि मैं व श्री देवेन्द्र सिंह कानि. उदयपुर पहुँच गये हैं जैसे ही संदिग्ध अधिकारी मेरे से रिश्वत राशि की मांग हेतु सम्पर्क करेगा मैं श्री देवेन्द्र सिंह कानि. व आपको बता दुंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 11.11.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. के मोबाईल फोन से वाट्सअप कॉल आया तथा बताया कि अभी तक संदिग्ध अधिकारी ने परिवादी से सम्पर्क नहीं किया है मैं परिवादी द्वारा अवगत कराने पर तुरन्त परिवादी के पास पहुँच जाउंगा। जिस पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 12.11.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. के मोबाईल फोन से वाट्सअप कॉल आया तथा बताया कि अभी तक संदिग्ध अधिकारी ने परिवादी से सम्पर्क नहीं किया है मैं परिवादी द्वारा अवगत कराने पर तुरन्त परिवादी के पास पहुँच जाउंगा। जिस पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 13.11.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादी के मोबाईल फोन से वाट्सअप कॉल आया तथा बताया कि मैंने संदिग्ध अधिकारी से मेरे काम के बारे में बात करने के लिये समय 4:49 पीएम पर व्हाटसएप कॉल करने पर संदिग्ध अधिकारी ने मुझे कोर्ट चौराया पर बुलाया तथा मैंने श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को भी बता दिया। जिस पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. मेरे पास पहुँचने के बाद समय 4:58 पीएम पर संदिग्ध अधिकारी ने मुझे व्हाटसएप से स्वयं कॉल करके सोभागपुरा सर्किल बुलाया तो हम 5:00 पीएम पर पहुँचे जिस पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. ने मुझे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द किया। कुछ समय पश्चात संदिग्ध अधिकारी श्री रोशनलाल सोभागपुरा सर्किल के पास एक कार वेगनआर नं.आरजे 27 सीजी 4175 में आया तथा मेरे को स्वयं की गाड़ी में बैठाकर बातचीत कर मुझे गाड़ी से नीचे उतार दिया,उक्त वार्ता को मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया।तत्पश्चात मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बंद कर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को सुपुर्द कर दिया। परिवादी ने बताया कि अब रोशन लाल काम होने के बाद(एफआर कोर्ट में लग जाने के बाद) पैसा लेने की कह रहा है तथा मुझसे गिफ्ट व 500/—रूपये मांगे हैं। जिस पर परिवादी एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 14.11.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादी के मोबाईल फोन से वाट्सअप कॉल आया तथा बताया कि मैंने संदिग्ध अधिकारी को मेरे काम के लिये जरिये व्हाटसएप कॉल बात की तो संदिग्ध अधिकारी श्री रोशन लाल ने मुझे

F

यूआईटी चौराहा उदयपुर बुलाया, जिस पर मैं श्री देवेन्द्र सिंह कानि को साथ लेकर समय लगभग 03.40 पीएम पर यूआईटी चौराहा पर पहुंचा जहां पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि ने मुझे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द किया जिस पर मैं युआईटी चौराहा पर खड़े श्री रोशन लाल से मिला। इस दौरान मेरे व संदिग्ध अधिकारी श्री रोशन लाल के मध्य हुई बातचीत को मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। बातचीत के दौरान ही संदिग्ध अधिकारी ने मुझसे 500/–रूपये ओर गिफ्ट में हाथ घड़ी भी ली है तथा पहले मुझसे 5000/–रूपये व 1000/–रूपये लेकर किसी को देने की बात स्वीकार कर रहा है तथा सपोर्ट के बदले प्रतिफल नहीं मिलने की बात कह रहा है। तत्पश्चात मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बंद कर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को सुपुर्द कर दिया। जिस पर परिवादी एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 15.11.2022 को समय 02.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादी के मोबाईल फोन से वाट्सअप कॉल आया तथा बताया कि मैंने संदिग्ध अधिकारी को मेरे काम के लिये दो तीन बार व्हाटसएप कॉल किये लेकिन संदिग्ध अधिकारी ने कॉल रिसीव नहीं किये। तत्पश्चात संदिग्ध अधिकारी ने मुझे को व्हाटसएप द्वारा कॉल व कहा कि आपने जो गिफ्ट दिया वो सस्ता है वो वापस रिटर्न कर रहा हुॅं। जिस पर संदिग्ध अधिकारी ने मुझे शाम को पुलिस थाना सुखेर पर मिलने के लिये कहा है। उक्त वार्ता को मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। तत्पश्चात मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बंद कर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को सुपुर्द कर दिया। जिस पर परिवादी एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात 08.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादी के मोबाईल फोन से वाट्सअप कॉल आया तथा बताया कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा मुझे पुलिस थाना सुखेर पर बुलाने पर मैं व श्री देवेन्द्र सिंह कानि. पुलिस थाना सुखेर के बाहर पहुॅंचने पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. ने मुझे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द किया। जिस पर मैं पुलिस थाना के अन्दर जाकर संदिग्ध अधिकारी श्री रोशन लाल, उप निरीक्षक पुलिस से मिला उससे मेरे काम के बारे में बात की रोशन लाल ने एफआर का काम होने के बाद में बात करने के लिये कह रहा है। उक्त वार्ता को मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। तत्पश्चात मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बंद कर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को सुपुर्द कर दिया। परिवादी ने बताया कि सुर्यप्रकाश मुझे जितेन्द्र आंचलिया डिप्टी एसपी से मिलवायेगा। जिस पर परिवादी एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 16.11.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादी के मोबाईल फोन से वाट्सअप कॉल आया तथा बताया कि दलाल श्री सुर्यप्रकाश ने मुझे डीवाईएसपी श्री जितेन्द्र आचलिया से मिलने के लिये होटल ट्यूलिप पर बुलाया जिस पर मैं व श्री देवेन्द्र सिंह कानि. होटल ट्यूलिप पर पहुॅंचे जहॉं पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. ने मुझे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। मैं होटल ट्यूलिप में जाकर डीवाईएसपी जितेन्द्र आंचलिया जी से मिलकर मेरे काम की बात की उक्त वार्ता को मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। तत्पश्चात होटल से बाहर आकर मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बंद कर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को सुपुर्द कर दिया। जिस पर परिवादी एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 17.11.2022 को समय

मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादी के मोबाईल फोन से वाट्सअप कॉल आया तथा बताया कि संदिग्ध अधिकरी श्री रोशन लाल अब मेरे से रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में कोई वार्ता नहीं करेगा क्योंकि संदिग्ध अधिकारी ने मुझसे कहा है कि आपके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में एफआर न्यायालय में पेश करने के बाद ही मैं आपसे इस सम्बन्ध में बात करूंगा।जिस पर परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि. को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित साथ लेकर ब्यूरो मुख्यालय पहुँचने की हिदायत की गई। दिनांक 18.11.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक उपस्थित कार्यालय आया। जिस पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर सरसरी तौर पर सुना तो संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से परिवादी का काम होने के पश्चात रिश्वत मांग की एवं परिवादी द्वारा पूर्व में बताये गये तथ्यों की पुष्टि होती है। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नीरज पुर्बिया से जरिये दूरभाष उपरोक्त गोपनीय कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि अभी तक संदिग्ध अधिकारी ने मेरे से रिश्वत राशि व मेरे काम के सम्बन्ध में सम्पर्क नहीं किया है जैसे ही संदिग्ध अधिकारी मेरे से सम्पर्क करेगा मैं तुरन्त आपको अवगत करा दुंगा। जिस पर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 28.11.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नीरज पुर्बिया से गोपनीय कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि अभी तक संदिग्ध अधिकारी ने मेरे से रिश्वत राशि व मेरे काम के सम्बन्ध में सम्पर्क नहीं किया है तथा मैं भी मेरे निजी कार्य में व्यस्त था इसलिए मैं भी संदिग्ध अधिकारी से सम्पर्क नहीं कर पाया जैसे ही संदिग्ध अधिकारी मेरे से सम्पर्क करेगा मैं तुरन्त आपको अवगत करा दुंगा। जिस पर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 12.12.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नीरज पुर्बिया से गोपनीय कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि अभी तक़ संदिग्ध अधिकारी ने मेरे से रिश्वत राशि व मेरे काम के सम्बन्ध में सम्पर्क नहीं किया है तथा मैं भी मेरे निजी कार्य में व्यस्त था इसलिए मैं भी संदिग्ध अधिकारी से सम्पर्क नहीं कर पाया जैसे ही संदिग्ध अधिकारी मेरे से सम्पर्क करेगा मैं तुरन्त आपको अवगत करा दुंगा। जिस पर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये।दिनांक 20.12.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नीरज पुर्बिया से गोपनीय कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि अभी तक संदिग्ध अधिकारी ने मेरे से रिश्वत राशि व मेरे काम के सम्बन्ध में सम्पर्क नहीं किया है तथा मुझे पता चला है कि मेरे विरूद्ध पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर में दर्ज प्रकरण में संदिग्ध अधिकारी श्री रोशन लाल ने एफआर पेश कर दी है, लेकिन संदिग्ध अधिकारी ने मुझसे अभी तक मेरे काम के बदले में रिश्वत राशि की मांग नहीं की है व ना ही मेरे से रिश्वत के सम्बन्ध में कोई सम्पर्क किया है। अब मुझे लग रहा है की लवलीना द्वारा कोर्ट में एफआर के विरूद्ध प्रोटेस्ट लगा देने के कारण न्यायालय में एफआर स्वीकृत होने का काम निकट भविष्य में पूरा होने की कम संभावना होने के कारण संदिग्ध अधिकारी रोशन लाल अब मेरे से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं करेगा। इसलिए अब ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है, जिस पर परिवादी श्री नीरज पुर्बिया को गोपनीय कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21.12.2022 को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की

हिदायत दी गई व हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 21.12.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री हिमाशुं शर्मा, कनिष्ठ सहायक को गोपनीय कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्रांक स्पे–1 दिनांक 21.12.2022 देकर मुख्य निरीक्षक स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम–ग्रेटर, जयपुर से दो स्वतंत्र गवाहान पाबन्द करने हेतु रवाना किया गया। समय 12.55 पीएम पर श्री हिमाशुं शर्मा, कनिष्ठ सहायक व कार्यालय मुख्य निरीक्षक स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम–ग्रेटर, जयपुर से दो स्वतंत्र गवाहान श्री धनराज मीणा व श्री चंचल तनेजा के उपस्थित कार्यालय आया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान से नाम पता पूछा तो उन्होने अपने नाम पत्ते क्रमशः श्री धनराज मीण पुत्र श्री प्रहलाद मीणा जाति मीणा उम्र–31 वर्ष निवासी–मान विहार सी, सीतापुरा जयपुर हाल–कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम–ग्रेटर, जयपुर मोबाईल नम्बर–8233005700 एवं दूसरे ने श्री चंचल तनेजा पुत्र स्व. श्री लेखराज तनेजा जाति–पंजाबी उम्र–30 वर्ष निवासी–1/1059 मालवीय नगर जयपुर हाल–सहायक राजस्व निरीक्षक, कार्यालय मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम–ग्रेटर, जयपुर मोबाईल नम्बर–9875260418 होना बताया। इसी दरमियान परिवादी श्री नीरज पुर्बिया भी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया जिन्हे बैठाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाकर स्वतंत्र गवाहान से गोपनीय कार्यवाही में गवाह बनने की सहमती चाही जिस पर दोनों गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही में अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमती प्रदान की। एवं स्वतंत्र गवाहान को बताया कि उपरोक्त गोपनीय कार्यवाही में संदिग्ध आरोपी श्री रोशन लाल उप निरीक्षक पुलिस ने पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर में परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में एफआर कोर्ट में लगाने के लिए रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी लेकिन संदिग्ध अधिकारी ने वर्तमान में परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में एफआर न्यायालय में पेश कर दी है। एफआर प्रोटेस्ट हो गई है तथा संदिग्ध अधिकारी काम होने के बाद रिश्वत लेने की कह रहा है जिसमें काफी समय लगने की संभावना है। इसलिए इस गोपनीय कार्यवाही में संदिग्ध आरोपी श्री रोशन लाल के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं है। चूंकि संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान वार्ता में रिश्वत मांग सत्यापन वार्येस रिकार्डर में रिकॉर्ड वार्ता से होना पाया गया है, परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतू उपस्थित रहने को कहा तो परिवादी ने अपनी सहमति जाहिर की। तत्पश्चात गवाहान के समक्ष परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री रोशन लाल, उप निरीक्षक पुलिस के मध्य दिनांक 13.11.2022,14.11.2022,15.11.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है एवं दिनांक 16.11.2022 को परिवादी एवं श्री जितेन्द्र आंचलिया के मध्य वार्ता जो घटनाक्रम से सम्बन्धित है,उक्त वॉईस रिकॉर्डर जो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा हुआ है, को कार्यालय की अलमारी से निकालकर वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता में रिकॉर्ड आवाजों की पहचान परिवादी से करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट आरंभ की गई। तत्पश्चात उक्त वार्ता को सुनकर परिवादी ने अपनी एवं संदिग्ध आरोपी श्री रोशन लाल, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर तथा डीवाईएसपी जितेन्द्र आंचलिया,लवलीना व सुर्यप्रकाश की आवाज होने की पहचान की। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड उक्त वार्तालाप को दोनों गवाहान एवं

परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् ट्रेप बॉक्स से चार खाली सी.डी.आर. निकालकर उन्हें लेपटॉप के जरिये खाली होना सुनिश्चित किया गया। दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री नीरज पुर्बिया के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वती राशि मांग सत्यापन के समय दिनांक 13.11.2022,14.11.2022,15.11.2022 एवं दिनांक 16.11.2022 को परिवादी एवं श्री जितेन्द्र आंचलिया की वार्ता को परिवादी व आरोपी के बीच हुई वार्ता को विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप से जोडकर उक्त रिकार्ड वार्ता की वाईस क्लिप को बारी–बारी से चार अलग–अलग सीडी मे राईट/बर्न किया गया। सभी सी.डी.आर. को पुनः लैपटॉप पर चलाया जाकर सुना गया तो उसमें उपरोक्त वार्ता दर्ज होना पाया गया। वॉईस क्लिप सीडी में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर चारों सीडीयों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग–अलग सीडी मार्क A-1, A-2, A-3 मार्क A-4 (आईओ कॉपी) क्रमशः अंकित किये गये। उक्त सीडी में से तीन सीडी मार्क A-1, A-2 एवं मार्क A-3 को अलग–अलग प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर अलग–अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व सीडी अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगा हुआ **Sandisk 32 GB** का एसडी कार्ड जिसमे मांग सत्यापन की वार्ताऐं रिकॉर्ड है, उसको डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से सुरक्षित रूप से बाहर निकालकर माचिस की एक खाली डिब्बी में डालकर माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क SD अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर किया गया। मार्क SD को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखा गया। कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो,विअनुई, जयपुर के पत्रांक 2335 दिनांक 22.12.2022 के जरिये तीन सील्डशुदा सीडीयां मार्क A-1, A-2 एवं मार्क A-3 एवं मार्क SD को जमा मालखाना करवाया गया एवं सीडी मार्क A-4 (आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी।

परिवादी से रिश्वत के रूप में रूपयों की मांग करना परिवादी ने अपने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है, जिस सम्बन्ध में दिनांक 13.11.2022,14.11.2022,15.11.2022 एवं दिनांक 16.11.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता– **परिवादी–** म्हारो काम कर दो ना **आरोपी रोशन लाल–** आपको कांई काम बाकी है **परिवादी–** म्हारो काम, लगाईदो ना एफआर जो लगानी है जो, जो आप हुकम करो आप हुकम करो बस बोलो, आप बोलो, **आरोपी रोशन लाल–** काम होने के बाद **परिवादी–** कोई दिक्कत नही है मनै, **आरोपी रोशन लाल–** काम होने के बाद में, **परिवादी–** जो भी हो मतलब आप अगर मुझे बोलोगे, **आरोपी रोशन लाल–** मै कुछ नही बोल रहा हूं काम होने के बाद में, काम हा जाने दो, **आरोपी–** मेरे क्या ल्याये हो, मेरे क्या ल्याये हो, दुबई से मेरे लिए क्या ल्याये हो, **परिवादी–** आपके लिये मै गिफ्ट लेकर आया हूं, **आरोपी–** क्या ल्याये हो, दिवाली यूं ही निकल गई यू ही **परिवादी–** हां हां लाया हूं ना गिफ्ट **आरोपी–** मै इसको निपटा दूं **परिवादी–** मै आपरे दो तक कर दूंगा मै **आरोपी–** हजार – पांच सौ रूपये, हजार पांच सौ रूपये है आपके पास **परिवादी–** मै राखुं नही पर्स वर्स है नहीं मेरे पास, खाली सब ऑन लाईन है **आरोपी–** म्हारे सिपाही न देणा पडी न यार, **परिवादी–**हं आरोपी– चलो बाद में ले लूंगा काम होणे **परिवादी–** ठीक है बताओ पछ वा, वो गिफ्ट लायायो हो काल वालो **आरोपी–** लाओ लाओ दे दो ना, कांई करो हो लाओ, **परिवादी–** गाडी में ही पडो हो, **आरोपी–** दे दो ना, **आरोपी–** करो जो भी हो ठीक है, पैसा भी लेर आयो मै काल आप पांचसौ

रूपया मांगी रिया था **परिवादी**— हां लाओ .... उसी को देने पडेगें यार, पेश करेगा उसको, मेरे नही है सिपाही आता है उसके है। उपरोक्त वार्ता में परिवादी से संदिग्ध आरोपी रोशन लाल, उप निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना पाया गया है।

कार्यवाही हाजा में अब तक के हालातों को देखते हुवे रिश्वत लेनदेन होने एवं ट्रेप कार्यवाही किये जाने की सभांवना नहीं रही है। अब तक के हालातों से आरोपी श्री रोशन लाल, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर द्वारा परिवादी श्री नीरज पुर्बिया के विरूद्ध पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 0091/2022 धारा–457,380,447,448, 120 बी भादसं. में एफआर न्यायालय में लगाने एवं एफआर का काम पूरा होने के बाद में रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना पाया जाने से आरोपी श्री रोशन लाल, उप निरीक्षक पुलिस के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, (संशोधित) 2018 में प्रकरण पंजीबद्ध करने तथा श्री जितेन्द्र आंचलिया, उप अधीक्षक पुलिस, उदयपुर की संदिग्ध भूमिका के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

(रघुवीर शरण)
पुलिस निरीक्षक
विशेष अनुसंधान ईकाई,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

[redacted]

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रोशन लाल, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 507/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.12.22
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 4252-55 दिनांक 30.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

30.12.22
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।